# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पंचम

**फरवरी-मार्च, 2021 सत्र**

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

# कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68
15, 83, 27, 17

मांग संख्या – 30, 80, 19, 79, 7, 50

मांग संख्या – 55 एवं 34 से संबंधित

## भाग - तीन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

| क्र. | मा. मंत्री का नाम | मांग संख्या | विवरण | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3 घंटे |
| | | 33 | आदिम जाति कल्याण | |
| | | 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | |
| | | 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | |
| | | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | |
| | | 53 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | |
| | | 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना | |
| | | 66 | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | |
| | | 68 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन | |
| | | 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | |
| | | 83 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | |
| | | 27 | स्कूल शिक्षा | |
| | | 17 | सहकारिता | |
| 2. | **श्री टी.एस. सिंहदेव** | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 3 घंटे |
| | | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | |
| | | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |
| | | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | |
| | | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | |
| | | 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय | |
| 3. | **श्रीमती अनिला भेंडिया** | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 2 घंटे 30 मिनट |
| | | 34 | समाज कल्याण | |

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2021 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**<br>
**प्रमुख सचिव**<br>
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

**वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–**

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
15. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
16. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

## मांग संख्या– 82

## अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 3,25,65,47,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

# मांग संख्या– 33

# आदिम जाति कल्याण

**मतदेय राशि** **रूपये 48,85,03,66,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

**1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सामान्य शिक्षा में निर्देशन और प्रशासन के लिए बहुत कम राशि का प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

**2. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जिला प्रशिक्षण संस्था (डाईट) पेण्ड्रा में 100–100 छात्र–छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास का निर्माण किया जाने का उल्लेख नहीं है।

**3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधान सभा के सुहेला हथबंद, सिमगा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आश्रम खोले जाने का बजट में उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधान सभा के सुहेला ग्राम में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदा बाजार विधान सभा के ग्राम मोहरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

**4. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 41

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना

**मतदेय राशि** **रूपये 1,95,34,34,11,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के छात्रों के प्रशिक्षण हेतु बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

   (2) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सहकारी समितियों की सहायता हेतु अत्यंत कम राशि का उल्लेख है।

   (2) आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्ययों की राशि के संबंध में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जनजाति वर्ग का सिमगा ( भाटापारा )में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (2) अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) अनुसूचित जनजातियों के लिये ग्रामोद्योग एवं लद्यु उद्योगों के प्रशिक्षण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (4) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

   (5) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं है।

   (6) आदिवासी क्षेत्रों पर शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

   (7) अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 42

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि रूपये 9,60,71,00,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

# मांग संख्या– 49

## अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि — रूपये 4,94,30,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त सहायता राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (2) अन्य पिछ़ड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त बजट राशि आबंटन का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या– 53

## अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

**मतदेय राशि** **रूपये 85,32,33,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

**श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के विकास की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 64

# अनुसूचित जाति उपयोजना

**मतदेय राशि** **रूपये 61,57,17,38,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जाति, जनजाति कार्यालयों की इमारतों हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्कूल शिक्षा हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) कृषक ऋण ब्याजदर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान बहुत ही कम प्रावधान है।

   (4) वृहद निर्माण कार्य के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

   (5) स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना के लिए राशि पर्याप्त नहीं है।

2. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु किया गया आबंटन बहुत कम है।

## मांग संख्या– 66

## पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

**मतदेय राशि** **रूपये 2,56,36,70,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

**श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

छात्रवृत्तियां एवं अन्य लाभ हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या– 68

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

**मतदेय राशि** **रूपये 95,04,50,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्राम पंचायत मोहभटठा, विकासखण्ड पथरिया, जिला मुंगेली में सर्वसुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

   (2) ग्राम पंचायत पत्थरखान, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिये आवास हेतु पर्याप्त राशि का आबंटन का उल्लेख नहीं है।

   (2) शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त है, पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण हेतु राशि का आबंटन पर्याप्त नहीं है।

   (4) जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर के भवन निर्माण हेतु राशि कम है।

   (5) वृहद निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में छात्रावास आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजाति वर्ग की संस्कृति हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 15

# अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपय 1,66,34,73,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

# मांग संख्या – 83

# अनुसूचित जनजाति उपयोजन के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि — रूपये 1,33,49,28,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

# मांग संख्या – 27

# स्कूल शिक्षा

**मतदेय राशि** **रूपये 51,77,14,73,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 20

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में उच्च स्तरीय पुस्तकालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सभी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्ति किया जाने का उल्लेख नहीं है।

   (2) विद्यार्थियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

   (3) कृषि को स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाने का उल्लेख नहीं है।

   (4) पचास हजार शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति किया जाने का उल्लेख नहीं है।

   (5) सभी स्कूलों में खेल मैदान का उल्लेख नहीं है।

   (6) शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।

   (7) सभी स्कूली छात्र–छात्राओं को सायकल आबंटन की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (8) प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा स्थापना के समय ली गई अनुमति और उसके बाद निरंतर किये गये विकास कार्यों के कारण बच्चों के प्ले ग्राउन्ड समाप्त कर दिये गये है, स्कूलों पर कार्यवाही किया जाने का उल्लेख नहीं है।

   (9) विद्यार्थियों के कल्याण हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये राशि अपर्याप्त है।

   (2) राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एससीआईआरटी) का पुनर्गठन में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मुंगेली विधान सभा के ग्राम कारेसरा में नवीन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाखा खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) मुंगेली विधान सभा के ग्राम भठलीकला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(2) छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण का उल्लेख नहीं है।

(3) निजी स्कूलों के शिक्षा के अधिकार की राशि के भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) भाटापारा विधान सभा के किसी स्कूल का उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में योग शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के सभी स्कूलों में खेल मैदान का आभाव है बनाया जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) स्कूल शिक्षा विभाग हेतु प्रावधानित बजट पर्याप्त नहीं है।

(9) छात्राओं को नर्सरी से हायर सेकेण्डरी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के प्रायवेट स्कूलों में कार्यरत स्टॉफ को वापस काम दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों के द्वारा लापरवाही करने के बाद भी कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिये हॉस्टल खोले जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) धमतरी जिले में शासकीय डी एड एवं बी एड कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधान सभा के अंतर्गत शहर में नगर निगम के अंतर्गत गोकुलपुर वार्ड में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) धमतरी विधान सभा के पंचायत आमदी में हायर सेकेण्डरी स्कूल में आहाता निर्माण किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में स्कूलों में फीस निर्धारण हेतु कार्ययोजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के प्रायवेट स्कूलों में अभिभावकों पर पूरी राशि दिये जाने का दबाव डाला जा रहा है, नियमानुसार फीस में राहत दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(9) हायर सेकेण्डरी स्कूल ग्राम पोटियाडीह, ग्राम बिरेतरा, ग्राम रूद्री में भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(10) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम–मोगरागहन, देवरी, कसावही में हाई स्कूल भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(11) अभिभावकों को फीस में राहत दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के बछौद हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में घाटादेई हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में परसदा हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के झलमला हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरी में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय प्राथमिक शाला देवरीमठ को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय प्राथमिक शाला बरेकेलेखुर्द को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय प्राथमिक शाला बरकूट को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भड़ोरा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(5) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भातमाछुल को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(6) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखाली को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(7) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(8) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झालरौंदा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(9) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल देवगांव को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(10) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल मल्दा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(11) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल देवरघटा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(12) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल करनौद को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(13) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल रायपुरा को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(14) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में हाई स्कूल भोथीडीह को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(15) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में शासकीय हाई स्कूल बेलादुला को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधान सभा के कर्रा हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधान सभा के भवन विहीन हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के हाई स्कूल, मोपका, चिंगराज पारा, सेलट , मटियारी, कर्री को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भाड़ी, डगनिया, बिजौर, कर्रा स्कूल बाउन्ड्रीवॉल निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नवागढ़ विकास खण्ड के ग्राम खपराडीह में मिडिल स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसौटा मे नये हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुल्मा में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुईगांव में नये शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 17

# सहकारिता

**मतदेय राशि** **रूपये 2,43,86,92,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) वर्ष 2020–2021 में धान खरीदी की राजीव गांधी न्याय योजना में राशि कब दी जायेगी तारीख का उल्लेख नहीं है।

    (2) ग्राम ककेड़ी में कोऑपरेटिव्ह बैंकों की शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) सरगांव में कोऑपरेटिव्ह बैंक के अपूर्ण भवन को पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (4) सन् 2019–2020 के धान खरीदी केन्द्र व संग्रहण केन्द्र में धान सड़ जाने का हिसाब किताब नहीं रखा गया है, हिसाब रखने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    प्रदेश में धान बिक्री पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) कृषि उपज मंडी में एम एस पी पर धान फसल खरीदी करने का प्रावधान नहीं है।

    (2) धान बेचने से वंचित किसानों को अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

    (3) किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।

    (4) 2500/– रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रशिक्षण के लिए प्राप्त राशि बहुत ही कम है, पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधान सभा में नवीन शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पिछले दो वर्ष का किसानों का बोनस दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सहकारिता विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) नवीन सहकारी शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) सोसायटियों से संग्रहण केन्द्रों तक धान का परिवहन कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) सोसायटियों में धान को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त संसाधनों का आभाव है।

(5) नवीन सहकारी बैंकों के स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) पंजीयन से वंचित किसानों का धान खरीदनें के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक धान खरीदने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(8) रबी फसल की धान खरीदी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(9) किसानों के एक–एक दाना धान खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) धान का बकाया बोनस एक मुश्त भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(11) बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी बंद रहने की अवधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(12) किसानों को बारदाने का 55 रूपये प्रति बोरा भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विकास खण्ड लोरमी जिला मुंगेली में नया शक्कर कारखाना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) किसानों के रबी फसल की धान खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) दो वर्ष का बकाया धान का बोनस प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

**10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश सरकार द्वारा दो वर्षों का बकाया बोनस राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोंगरागहन (डू) में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी जिले अंतर्गत नगर पंचायत आमदी में सहकारी बैंक शाखा खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) नवीन साख सहकारी समिति के लिये अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण पर शेड निर्माण कार्य किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दो साल के लंबित धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के कापन में शक्कर कारखाना निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के घरगंवा में धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

## मांग संख्या– 30

## पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 39,79,64,76 ,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. **डॉ. रमन सिंह , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला राजनांदगांव में निर्माणाधीन ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों की पूर्णता हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य पूरा करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की किस्तों के भूगतान का उल्लेख नहीं है।

   (4) गांव गंगा योजना का उल्लेख नहीं है।

   (5) ग्रामीण बेघरों को घर देने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में झालरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में रनपाटे से सरियाडीपा मरघट्टी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (3) विधानसभा क्षेत्र थोरहादेवरी से बरकूट तक सड़क निर्माण निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर से सर्रा मोड़ से ढूढी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में आमगांव से कारीभांवर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य मार्ग से डोमाडीह तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य मार्ग भोथाडीह से डेरापारा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मोथाडीह से पिपरआंवर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में गोविन्दा से बड़गड़ी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य मार्ग कोटेतेरा से लिमतरा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(11) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य मार्ग से बाजार पारा पिरदा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में करनौद मुख्य सड़क से बस्ती की ओर सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(13) जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड मालखरौदा में बड़े मुडपार से सुखदा तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र सांसद आदर्श ग्राम मदनपुर के विकास हेतु उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के विधायक आदर्श ग्राम डगनिया के विकास हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की पंचायतों को विकास हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम लखराम व सीस में पंचायत के विकास कार्य हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के सोनगंगा कॉलोनी से मुख्य मार्ग नाला तक आर.सी.सी. रोड़ निर्माण सह नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंगला के वार्ड क्रमांक 14 के चन्द्र विहार कॉलोनी में आर.सी.सी. रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(7) बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 53 में महेश्वरी कौशल वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 53 में तुलसी गुप्ता वाली गली सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 50 में राजीव विहार कॉलोनी से लोयेला स्कूल तक सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 58 के डी.एल.एस. कॉलेज के पास नाले से जयराम साहू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 47 में जगन्नाथ के घर से मोपका बाई पास तक डामरीकृत रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 14 के मंगला में गीतांजली पार्क से मेनरोड नाले तक नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(13) बेलतरा विधानसभा के बेलतरा से मटियारी मार्ग एवं सेलर से पीपरा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(14) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कर्रा के आश्रित ग्राम कैपुर में मुख्य मार्ग से ठिकाराम कश्यप के घर तक सी.सी.सड़क सहनाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गईलनाला एनीकट से चोरहादेवरी में सी.सी.सड़क सह नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(16) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसदा में सी.सी.रोड सह नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोंदइया में प्राथमिक शाला धनुहारपारा तक सी.सी. रोड सहनाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलतरी में सी.सी.रोड सह नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(19) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रानीगांव में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(20) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लखराम में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(21) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पौंसरा में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत विकासखंड बलौदाबाजार, सिमगा एवं तिल्दा में धरसा योजना में सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत योजना से भोयना, शकरवारा से मुड़पार तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत विकास निधि का उल्लेख नहीं है।

(3) समग्र विकास योजना अंतर्गत राशि में कटौती का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मड़वापथरा से बड़वानी नाले तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरादो से रूद्री पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकलाडोंगरी से कोडेगांव रैयत पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सम्बलपुर से परेवाडीह केनाल मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़ेना से झिरिया में मार्ग सह पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरदाह से बलियारा मार्ग सह पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाती से सरसोंपुरी होते हुए पुरी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिर्रा से कोलियारी (पुराना) पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(12) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अलकाडोंगरी से ग्राम तुएगहन पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(13) धमतरी शहर की आवागमन सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए ग्राम बढ़ेना से मुजगहन पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विश्रामपुरी से सुमाबुजुर्ग मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अलकाडोंगरी के बाजारपारा से घड़ेपारा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(16) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोथीपारा से उरपूटी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छाती से बोदाछापर से झुरानवांगांव केनाल रोड तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कोड़ेगांव से सटियारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 80

# त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

**मतदेय राशि** **रूपये 27,29,63,63,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।

    (2) प्रदेश के ग्राम पंचायतों को 15 वें वित्त की राशि दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

    (3) पुरे प्रदेश में पंचायतों में संचालित क्वारेंनटाइन सेंटरों में खर्च की गई राशि पंचायतों को वापस किए जाने का उल्लेख नहीं है।

    (4) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के तालाबों के गहरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाने हेतु उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) पंचायतों में राजस्व अंतरण के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) ग्रामीण मार्गो के संधारण के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (3) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिये अनुदान एवं मूलभूत सेवाओं के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (4) ग्राम पंचायतों की विकास कार्य के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (5) जनपद पंचायतों के लिए पर्याप्त सहायता राशि का उल्लेख नहीं है।

    (6) ग्रामीण विकास कार्यो के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

    (7) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

    (8) शिक्षाकर्मियों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में जलाशयों के गहरीकरण एवं सौदर्यीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) पंचायतीराज में प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देने का उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रधानमंत्री आवास के लिये पर्याप्त वित्तीय आबंटन का उल्लेख नहीं है।

    (4) पंचायतों को समय पर राशि प्रदान करने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ देने का प्रावधान नहीं है।

(6) त्रिस्तरीय पंचायतीराज को पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(7) पंचायतों के बिजली बिल का भुगतान हेतु उल्लेख नहीं है।

(8) पंचायत के विकास और सुदृढीकरण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(9) पंचायतों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधानसभा के ग्रामों में गौरवपथ निर्माण एवं सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों को नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में रसेड़ा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरवपथ योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील के केराकछार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरवपथ योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पंचायतों को समय पर आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

**9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार देने का उल्लेख नहीं है।

(2) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, के मानदेय में बढ़ोत्तरी हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 19

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

**मतदेय राशि** **रूपये 23,81,42,62 ,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 17

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य में ट्रामा सेन्टर खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (2) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बदरा (ढ) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (3) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में ब्लड बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (4) ग्राम चुनचुनिया विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड बनाने हेतु उल्लेख नहीं है।

    (2) विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रत्येक ब्लॉक में ब्लड बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।

    (4) स्वास्थ्य कर्मियों के वेतनमान में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

    (5) जनता को निजी अस्पतालों में ईलाज हेतु आयुष्मान योजना/स्मार्ट कार्ड योजना/ डॉ. खूबचंद बघेल योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।

    (6) मठपुरैना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं ।

3. **श्री अजय चन्द्राकर , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) अस्पताल और औषधालय के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (3) उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (4) सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (5) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (6) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

    (7) अस्पताल और औषधालय हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

    (8) आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (9) शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंडरभठ्ठा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं दशरंगपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना से निपटने हेतु उपकरणों एवं दवाईयों हेतु पर्याप्त राशि के आबंटन का उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(4) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भालापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) जिला चिकित्सालय मुंगेली में चिकित्सा विशेषज्ञों पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

**5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेण्ड्रा में मरीजों के लिये 30 बिस्तर उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

**6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर जिला चिकित्सालय में मशीन खरीदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में नवीन चिकित्सालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर एवं चांपा स्थित अस्पतालों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वाास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

(2) सिमगा में 50 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(5) नकली दवाईयों पर प्रतिबंध और कार्यवाही हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(6) कैंसर के उपचार के लिये नवीन कैंसर यूनिट प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(7) कोरोना वैक्सीनेशन को तीव्र गति से पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

(8) अस्पतालों के रिक्त टेक्निशियनों के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

(9) कोरोना फ्रंट वारियरों को प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख नहीं है।

(10) यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना की जानकारी गरीब वर्गो को देने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा में बलौदा विकासखंड के डोंगरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के छीतापाली में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) जांजगीर–चांपा के बलौदा विकासखंड के नवागांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के चंगोरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के धनपुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(8) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के पकरिया में उपस्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम शेगांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम डोरघटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बड़े रवेली में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम जर्वे में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम कचंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम आमगांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम डबरीडीह में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलाडोंगरी (डु) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को डुबान क्षेत्र से अलग करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल धमतरी में आई.सी.यू. यूनिट खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रांवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कण्डेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरेंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में रिक्त डॉक्टरों के पद की पूर्ति हेतु नयी भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(7) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत नगर पालिका तिल्दा में पोस्ट मार्टम हेतु चीरघर बनाने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा नेवरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारी की व्यवस्था हेतु प्रावधान नहीं है।

**12. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन एम.आर.आई. सिटी स्केन मशीन लगाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में रिक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के बेलतरा में एंबुलेंस प्रदान करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के उपस्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में अधूरे पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरा करने हेतु उल्लेख नहीं है।

**13. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिला के जर्जर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ में एक्स–रे मशीन लगाने हेतु उल्लेख नहीं है।

(3) विकासखंड पामगढ़, ग्राम पंचायत कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 79

# चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 10,38,66,62,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   सिम्स मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सिम्स मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नर्सिग के पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सिमगा में नर्सिग कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) भाटापारा में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर–चांपा जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला मुंगेली के मुंगेली शहर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की सीट बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

धमतरी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 7

## वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 2,79,44,09,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पेट्रोल–डीजल पर टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है, रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) राजधानी रायपुर में पंजीयन कार्यालय में निजी कंपनी को आवश्यक कार्यो के कम्प्यूटरीकरण करने हेतु ठेके पर दिये जाने के बाद भी व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (3) शराबबंदी की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (4) अवैध शराब बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।

   (5) उद्योगों को सम्पत्ति कर में छूट देने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

   (6) शराब माफिया से मुक्ति दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) स्टाम्प और पंजीयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) मिशन मोड परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) ऑनलाईन स्टाम्प के विक्रय हेतु प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।

(2) अन्य राज्यों से आये शराब की तस्करी को रोकने हेतु टीम गठित करने का उल्लेख नहीं है।

(3) शराब के परीक्षण करने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

(4) करों की चोरी को रोकने हेतु विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(5) पेट्रोल–डीजल पर वैट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

**7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा तहसील में पंजीयन कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जी.एस.टी. को छोड़कर वित्तीय संसाधन बढ़ाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

**9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पूरे प्रदेश में शराब से हो रहे कुप्रभाव से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

**10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।

(2) खम्हारडीह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मध्य रोड़ पर शराब दुकान का अहाता खोले जाने के कारण हजारों परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उक्त शराब दुकान बंद करने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या– 50

## बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 3,84,25,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

1. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला स्थापना हेतु राशि एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बीस सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 55

# महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 10,49,85,91,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) नगर पंचायत सरगांव के 09 वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) पथरिया में मितानिनों के लिये सर्व सुविधा युक्त भवन का उल्लेख नहीं है।
   (3) जन घोषणा पत्र में किये गये घोषणा अनुसार मितानिनों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (4) कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
   (5) महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
   (6) ग्राम–सिलतरा विधानसभा पथरिया, जिला–मुंगेली में आंगनबाड़ी हेतु खोलने का उल्लेख नहीं है।
   (7) ग्राम–बिरकुली विगत बिल्हा जिला–बिलासपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
   (8) ग्राम–अमलडिहा (डाकासाका) विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।
   (9) ग्राम–चुनचुनिया विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कलेक्टर दर पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
   (2) महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी का विभागीय बजट का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी व सशक्तिकरण को लेकर कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) कुपोषण से मौतों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) महिला स्व–सहायता समूह का जिला स्तर पर समूह मेले के आयोजन का उल्लेख नहीं है।
   (4) प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों से चौबीसों घंटे थाना के समान कार्य लिया जा रहा है, किंतु उनको शासकीय भत्तें एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अपना काम तो बखूबी कर रहे हैं, किंतु वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके नियमितिकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधानसभा के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र में नवीन भवन का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) नोनी सुरक्षा योजना के लिए अपर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु विद्युत व्यय की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) महिला जागृति शिविर हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के सभी आंगनबाड़ियों में स्वयं के भवन का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

छत्तीसगढ़ प्रदेश के विद्यामितान, सफाई कर्मचारी एवं मितानिनों को मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के सोनसरी में आंगनबाड़ी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में महिला स्व–सहायता समूह का कर्ज माफी करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त असुविधाओं को मूलभूत सुविधा संपन्न किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारे जाने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधानसभा के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के आंगनबाड़ी भवन विहीन केन्द्र मंगला, बिरकोना, लिगिंयाडीह, कोनी के भवन विहीन केन्द्रों हेतु नवीन भवन के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 34

## समाज कल्याण

**मतदेय राशि** **रूपये 1,10,53,53,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) सामाजिक सेवाओं हेतु पर्याप्त आबंटन का प्रावधान नहीं है।
   (2) बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
   (3) प्रदेश के दिव्यांगों को गोद लेकर उनकी आजिविका सम्मानपूर्वक गुजारने हेतु भत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
   (4) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
   (5) दिव्यांगों को घर पहुंचकर पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रूपये प्रतिमाह देने का उल्लेख नहीं है।
   (2) वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन नहीं दिये जाने संबंधी चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) दिव्यांगों के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) वरिष्ठ नागरिकों के लिये पौष्टिक आहार की योजना की प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
   (3) सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने का उल्लेख नहीं है।
   (4) दिव्यांगों के विकास के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
   (5) सर्व विधवा पेंशन का उल्लेख नहीं है।
   (6) सर्व वृद्धा पेंशन का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये अपर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता राशि का उल्लेख नहीं है।
   (5) वृद्ध, दुर्बल और निराश्रितों के कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (7) अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(8) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(9) नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायो–मेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु पर्याप्त अनुदान राशि का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दिव्यांगजनों को सामग्री वितरण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा में एक भी नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के पेंशन बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(4) तीर्थयात्रा योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) दिव्यांगों के आर्थिक और सामाजिक विकास योजना का उल्लेख नहीं है।

(6) दिव्यांगों हेतु मोटराईज्ड ट्राईसायकल वितरण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन वितरण व्यवस्था व्यवस्थित होने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पेंशन (मासिक) में बढ़ोत्तरी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

**7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतमाता वाहिनी के महिलाओं को मानदेय देने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में सभी विधवा–परित्यक्ता पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।

(3) सभी दिव्यांगों के पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के मूक, बधिर, विकलांग बच्चों हेतु प्रत्येक जिला, तहसील में स्कूल आंरभ किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में प्रत्येक जिले, तहसीलों में मूलभूत सुविधायुक्त वृद्धाश्रम खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) वृद्धाश्रम में पर्याप्त सुविधाओं का आभाव है, सुविधांए प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधानसभा में दिव्यांगों (मूक बाधिर) के लिए विद्यालय की बजट राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए आश्रम/छात्रावास के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।